9-1/CSU/DeanAcd./2024

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

(Established by an Act of Parliament)
56-57, Institutional Area, Delhi -110058

Guidelines for preparing Dissertation in Acharya 4th Semester

- The students of Acharya 4th semester of all subjects have to submit a Dissertation for the partial fulfillment of their degrees.
- The dissertation is to be submitted under the supervision of a faculty of that Department of the same campus.
- Concerned Department Convener/Head of the campus will assign the supervision work of the students to the faculty members.
- The size of the Dissertation depends on the nature of the theme of the Dissertation.
- However, it is desirable that the Dissertation should be around 50-60 pages typed in double space preferably in Unicode-**Kokila** Font, Size-**16**.
- It should be typed in A4 size papers and be submitted in a bound/Spiral bound form.
- The language of the Dissertation should be in Sanskrit only (except M.A. in Pali, MSC in Yogic Science, M.A. in Natyashastra and Indian Theater). An abstract (सारांश) of 05-10 pages should be added in Pali language in case of M.A. Pali and in Sanskrit language in case of MSC Yogic Science as well as M.A. in Natyashastra and Indian Theater in the beginning of Dissertation.
  The Dissertation should be in the following format:

(i) Title

The Title page of the Dissertation should indicate the Title, Name of the candidate/ University/Campus/College, Enrolment number and year of submission.

(ii) Certificate (By the Candidate & Supervisor)

(iii) Brief Acknowledgement (Based on actual contribution/help)

(iv) Table of Contents

(v) Introduction

This section will introduce the problem of the Dissertation. It should be able to give an idea to the reader what the topic is all about, how did the topic emerge, and what

made the student to take up the topic. The introduction must contain the rationale and purpose of the topic.

(vi) Chapters of the main body of the Dissertation

(vii) Conclusion

(viii) Select Bibliography (Primary & Secondary)

The Extension of Dissertation
Minimum 02 Chapters excluding the Introduction/Conclusion. However it should not exceed 04 chapters in all. Introduction/conclusion should not exceed more than 30% of the dissertation.

Plagiarism Certificate
A plagiarism Certificate is needed at the time submission which will be issued by the concerned Campus Library.

Submission

1. The Dissertation should be submitted in the typed format as instructed in the beginning itself.
2. The Dissertation must be submitted before the Examination mostly at the time of final Internal Assessment.

Evaluation of the Dissertation

1. The Dissertation will be examined by two examiners (1. By the Faculty of the same campus/college other than the Supervisor and 2. The Supervisor himself).
2. The Viva-Voce Examination will be conducted in the campus/college just after final Examination, where at least one External Examiner will be Present.

Marking-Pattern for the Dissertation

For Dissertation	:	60
For Viva-Voce	:	40
Total	:	**100**

(Prof. Banamali Biswal)
Dean, Academic Affairs

9-1/CSU/DeanAcd./2024

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित)

56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली -110058

आचार्य (चतुर्थ सेमेस्टर) में लघु शोधप्रबंध तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

- सभी विषयों के आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को अपनी डिग्री की आंशिक पूर्ति के लिए एक लघु शोधप्रबंध प्रस्तुत करना होगा।
- लघु शोधप्रबंध अपने परिसर के सम्बद्ध विभाग के एक संकाय की देखरेख में प्रस्तुत किया जाना है।
- संबंधित परिसरीय विद्याशाखा संयोजक/अध्यक्ष परिसरीय संकाय सदस्यों को छात्रों के लघु शोधप्रबन्ध सम्बद्ध मार्गदर्शन का कार्यभार सौंपेंगे।
- लघु शोधप्रबंध का आकार निबंध के विषय की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- यह वांछनीय है कि निबंध यूनिकोड-कोकिला फ़ॉन्ट, साइज़-16 में डबल स्पेस में टाइप किया गया लगभग 50-60 पृष्ठों का होना चाहिए।
- इसे A4 आकार के कागज़ में टाइप किया जाना चाहिए और जिल्द/स्पाइरल जिल्द के रूप में होना चाहिए।
- लघु शोधप्रबन्ध की भाषा संस्कृत ही होनी चाहिए (एम.ए. पाली, एमएससी योगविज्ञान, एम.ए. नाट्यशास्त्र और भारतीय रंगमंच को छोड़कर)। एम.ए. पाली के मामले में पाली भाषा में और एमएससी योग विज्ञान के साथ-साथ एम.ए. नाट्यशास्त्र और भारतीय रंगमंच के मामले में संस्कृत में 05-10 पृष्ठों का एक सारांश आरम्भ में जोड़ा जाना चाहिए। लघुशोधप्रबंध निम्नलिखित प्रारूप में होना चाहिए :-

(क) शीर्षक

निबंध के शीर्षक पृष्ठ पर शीर्षक, छात्र का नाम, विश्वविद्यालय/परिसर/कॉलेज का नाम, नामांकन संख्या और प्रस्तुत करने का वर्ष दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) प्रमाणपत्र (छात्र और मार्गदर्शक के द्वारा)

(ग) संक्षिप्त आभार (वास्तविक योगदान/सहायता पर आधारित)

(घ) विषयसूची

(ङ) प्रस्तावना

यह अनुभाग लघुशोधप्रबंध की समस्या का परिचय देगा जो पाठक को यह अंदाज़ा देने में सक्षम होना चाहिए कि विषय क्या है, विषय कैसे उभरा, और किस कारण से छात्र ने इस विषय को चुना। प्रस्तावना में विषय का औचित्य और उद्देश्य सम्मिलित होना चाहिए।

(च) लघुशोधप्रबन्ध के मुख्य भाग के अध्याय

(छ) उपसंहार

(ज) ग्रंथसूची (मुख्य और गौण स्रोत)

लघु शोधप्रबंध का विस्तार

प्रस्तावना/उपसंहार को छोड़कर न्यूनतम 02 अध्याय हों, और 04 अध्यायों से अधिक न हों। प्रस्तावना/उपसंहार मिलाकर लघु शोधप्रबन्ध का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।

अचौर्य (प्लैगरिज़म) प्रमाण पत्र

जमा करते समय एक अचौर्य (प्लैगरिज़म) प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी जो संबंधित परिसर के पुस्तकालय द्वारा जारी किया जाएगा।

जमा करना (सबमिशन)

1. दिशानिर्देश के आरंभ में ही दिए गए निर्देशानुसार टाइप किए गए प्रारूप में ही लघु शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. परीक्षा से पहले प्राय: अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के समय लघु शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लघु शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन

1. लघूशोधप्रबंध की जाँच दो परीक्षकों (1. मार्गदर्शक के अलावा उसी परिसर/कॉलेज के संकाय सदस्य, 2. मार्गदर्शक स्वयं) द्वारा की जाएगी।
2. वाक्-परीक्षा अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद परिसर/कॉलेज में आयोजित की जाएगी, जहां कम से कम एक बाह्य परीक्षक मौजूद रहेंगे।

लघुशोधप्रबन्ध के लिए मूल्यांकन-प्रणाली

लघु शोधप्रबन्ध के लिए	:	60 अंक
मौखिक परीक्षा के लिए	:	40 अंक
कुल योग	:	**100 अंक**

(प्रो. बनमाली बिश्वाल)
अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्त)

9-1/CSU/DeanAcd./2024

केंद्रीय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः

(संसद: अधिनियमेन स्थापित:)

56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली -110058

आचार्य-चतुर्थसत्रार्धे प्रस्तोतव्यस्य लघुशोधप्रबन्धस्य निर्माणार्थं मार्गदर्शिकाः

- सर्वेषां विषयाणाम् आचार्य- चतुर्थ-सत्रार्धस्य छात्रैः स्वकीय-उपाधेः आंशिकपूरणार्थम् एक: लघु-शोधप्रबन्धः प्रस्तोष्यते।
- लघुशोधप्रबन्धः स्वपरिसरे तस्यैव विभागस्य संकायसदस्यस्य निरीक्षणे प्रस्तोतव्यः।
- सम्बद्ध: परिसरीय-विद्याशाखासमन्वयकः/अध्यक्ष: छात्राणां लघुशोधप्रबन्ध-पर्यवेक्षण-दायित्वं परिसरीय-संकायसदस्यानां कृते निर्धारयिष्यति।
- लघुशोधप्रबन्धस्य आकारः निबन्धस्य विषयस्य प्रकृत्यनुसारं भविष्यति।
- तथापि वाञ्छनीयं वर्तते यत् लघुशोधप्रबन्धः ५०-६० पृष्ठात्मकः भवितव्यः य: प्राय: **कोकिला**- यूनिकोड् -फॉन्ट् (**16** आकारे) माध्यमेन द्विगुणितस्थाने (double Space) टङ्कितः भवेत्।
- एव: लघुशोधप्रबन्ध: A4 आकारस्य कर्गदपत्रेषु टङ्कयित्वा बाइण्ड्/स्पाइरल बाइण्ड कृत्वा च समर्पयितुं शक्यते।
- लघुशोधप्रबन्धस्य भाषा संस्कृतमात्रं भवेत् (एम.ए. पाली, एमएससी योगविज्ञानम्, एम.ए. नाट्यशास्त्रम् तथा भारतीय- रंगमंचम् विहाय)। ५-१० पृष्ठात्मक: सारांश: एम.ए. पाली छात्रै: पाली- भाषायां तथा एम.ए. नाट्यशास्त्र तथा भारतीय- रङ्गमञ्चस्य छात्रै: संस्कृत- भाषामादौ योजनीय:। लघुशोधप्रबन्धः निम्नलिखितप्रारूपानुरूपं भवेत् -

(क) शीर्षकम्

निबन्धस्य शीर्षकपृष्ठे शीर्षकं, छात्रनाम, विश्वविद्यालयस्य/परिसरस्य/महाविद्यालयस्य नाम, नामाङ्कनसङ्ख्या, प्रस्तुतीकरणस्य वर्षं च उल्लेखनीयम्।

(ख) प्रमाणपत्रम् (अभ्यर्थिना तथा निरीक्षकेण)

(ग) संक्षिप्त- कार्तज्ञोक्ति: (वास्तविकयोगदानस्य/सहायतायाः आधारेण)

(घ) विषयसूची

(ङ) प्रस्तावना

अस्मिन् खण्डे लघुशोधप्रबन्धसमस्यायाः परिचयः भविष्यति। अनेन पाठकस्य ज्ञानं भवेद् यत् प्रस्तुत: विषयः कः, विषयः कथम् उद्भूतः, विषयस्य चयनं कथं कृतम्। अत्रैव छात्रः एतान् विचारान् दातुं समर्थः भवेत्। परिचये विषयस्य औचित्यं, प्रयोजनं च समाविष्टं भवेत्।

(च) लघुशोधप्रबन्धस्य मुख्यभागस्य अध्यायाः

(छ) उपसंहारः

(ज) ग्रन्थसूची (मुख्यस्रोतांसि / गौणस्रोतांसि)

लघुशोधप्रबन्धस्य विस्तार:

लघुशोधप्रबन्धे न्यूनातिन्यूनं ०२ अध्यायौ भवेताम् (परिचयं/निष्कर्षं विहाय)। एवमेव ०४ अध्यायेभ्यः अधिकाः न भवेयुः। प्रस्तावनां/निष्कर्षं च एकत्रीकृत्य लघुशोधप्रबन्धस्य ३०% त: अधिको न भवेत्।

अचौर्यता- प्रमाण- पत्रम्
प्रस्तुतीकरणसमये अचौर्यताप्रमाणपत्रस्य आवश्यकता भविष्यति यत् सम्बद्धपरिसरस्यपुस्तकालयेन निर्गतं भविष्यति।

प्रस्तुतिः
1. अस्य दिशानिर्देशस्य: प्रारम्भे प्रदत्तनिर्देशानुसारं लघुशोधप्रबन्ध: टङ्कितरूपेण प्रस्तोतव्यः।
2. प्राय: परीक्षायाः पूर्वम् अन्तिम-आन्तरिकमूल्यांकनसमये लघुशोधप्रबन्धः प्रस्तुतः भवेत्।

शोधप्रबन्धस्य मूल्याङ्कनम्
1. लघुशोधप्रबन्धस्य परीक्षा परीक्षकद्वयेन (1. मार्गदर्शकस्य अतिरिक्तेन तस्यैव परिसरस्य/महाविद्यालयस्य संकाय-सदस्येन तथा 2. स्वयं मार्गदर्शकीण च) भविष्यति।
2. मौखिकपरीक्षा अन्तिमसत्रार्धपरीक्षायाः अनन्तरं तत्क्षणमेव परिसरे/महाविद्यालये भविष्यति, यत्र न्यूनातिन्यूनम् एकः बाह्यपरीक्षकः उपस्थितः भविष्यति।

लघुशोधप्रबन्धार्थं मूल्याङ्कनव्यवस्था

लघुशोधप्रबन्धस्य कृते	: ६० अंकाः
मौखिकपरीक्षाया: कृते	: ४० अंकाः
आहत्य	**: १०० अंकाः**

(प्रो. बनमाली बिश्वाल:)
अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्तम्)